राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 5(21)ग्रावि / नरेगा / जनरल / 2021–22 / 1030 जयपुर, दिनांक 18.4.2023

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रशासन गांवों के संग अभियान के संबंध में।
संदर्भः– राजस्व (ग्रुप–1) विभाग पत्र क्रमांक प012(9) राज.–1 / 2023 दिनांक 12.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं को जन–जन तक पहुचाने के लिये दिनांक 24 / 04 / 2023 से 30 / 06 / 2023 तक प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया जाना है। अभियान के संबंध में विभाग द्वारा निस्तारित किए जाने वाले आम जनता से जुडे कार्यों की सूची एवं प्रपत्र संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त सूची अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की प्रगति अपडेट किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे, ताकि अभियान के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्यों की शत प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(दिनेश कुमार जाँगिड़)
अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

(दिनेश कुमार जाँगिड़)
अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

# महात्मा गांधी नरेगा

1. रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या।
2. नवीन जॉबकार्ड जारी करना एवं अद्यतन (updation) करना।
3. लाईन विभाग (PWD, Forest & Water Resourse) अपने विभाग की राशि का महात्मा गांधी योजना से कन्वर्जेन्स कर कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
4. योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के मोबाईल नंबर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि करना।
5. योजनान्तर्गत नरेगा सॉफ्ट में यदि किसी श्रमिक के आधार नम्बर की प्रविष्टि नही है तो उसकी प्रविष्टि करना एवं ABPS कन्वर्जन हेतु आधार नम्बर का लिंकेज बैक खाते से करवाना।
6. योजनान्तर्गत समस्त कार्यो की जीओ टेगिंग करना।
7. कार्य पत्रावली मय समस्त दस्तावेज तैयार करना।
8. कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना।
9. 7 रजिस्टरों एवं मेट रजिस्टर का संधारण।

| क. स | पंचायत समिति | ग्राम पंचायत | 1.रोजगार की मांग | 2.जॉबकार्ड | | | 3. कन्वर्जेन्स | | 4. मोबाइल नं. | | 5. आधार नम्बर एवं ABPS कन्वर्जन | | 6. जीओ टेगिंग | | | | 7. कार्य पत्रावली | 8. नागरिक सूचना बोर्ड | 9. सात रजिस्टर एवं मेट रजिस्टर का संधारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | शिविर के दौरान रोजगार की मांग करने वाले परिवारो की संख्या | जारी किए गए नवीन जॉबकार्ड की संख्या | कुल जॉबकार्ड की संख्या | सत्यापित किए गए जॉबकार्ड की संख्या | कन्वर्जेन्स के तहत लिए गए कार्यों की संख्या | विभाग | नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड करने हेतु प्राप्त किये गये मोबाइल नं. की संख्या | नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड किये गये मोबाइल नं. की संख्या | श्रमिकों की संख्या जिनके आधार नम्बरकी प्रविष्टि की गई | श्रमिकों की संख्या जिनके ABPS कन्वर्जन हेतु आधार नम्बर का लिंकेज बैंक खाते से करवाया गया। | फेज–2 अन्तर्गत जीओ टेग किए गए कार्यों की संख्या | | | | क्या सभी कार्य स्थलो पर कार्य पत्रावली का संधारण किया जा रहा है | क्या सभी कार्य स्थलो पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाए गए है | क्या ग्राम पंचायतों में 7 रजिस्टरों एवं मेट रजिस्टर का संधारण किया गया। |
| | | | | | | | | | | | | | प्रारंभिक | कार्य के दौरान | पूर्ण कार्यों की संख्या जिनकी जिओ टेगिंग किया जाना शेष है | पूर्ण कार्यों की संख्या जिनकी जिओ टेगिंग कर दी गई है | हॉं/ नहीं | हॉं/ नहीं | हॉं/ नहीं |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |